उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध वाद संख्या–19 / 2020

सुप्रिया मेहता

बनाम

राज्य सरकार

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख*
24.12.2021	1. यह वाद सुप्रिया मेहता, प्रखंड–बड़कागॉव, ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या–70, गोन्दलपुरा को सेविका के पद से चयन मुक्ति के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या–74 / 2019 में दिनांक–18.11.2019 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा विविध वाद संख्या–74 / 2019 में पारित आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैः– "............उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा दिनांक–02.06.2018 को औचक निरीक्षण हुआ जिसमें संयोगवश मात्र 07 बच्चें उपस्थित पाए गए। इसी आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बड़कागॉव के पत्रांक–440 दिनांक–28.09.2018 के आलोक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1267 दिनांक–14.09.2018 को अनुमोदित करते हुए चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया। वादी की ओर से कहा गया कि उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निरीक्षण के दिन दिनांक–02.06.2018 को गॉव में दसकर्मा होने के कारण बच्चों की उपस्थिति कम थी, इसके बावजूद बच्चें आ ही रहे थे कि उपायुक्त महोदय का निरीक्षण हुआ। इस सबंध में पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्रामीणों द्वारा भी आवेदन देकर ऑगनबाड़ी सेविका को निर्दोष बताते हुए उक्त चयनमुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

सेवा में पुनः बहाल करने के वादी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग को वादी के अपील आवेदन पर पुर्नविचार कर उचित आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिया जाता है। ....."

2. प्रासंगिक वाद का सारांश यह है कि आवेदिका सुप्रिया मेहता, प्रखंड बड़कागॉव अंतर्गत गोन्दलपुरा ऑगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के पद पर प्रासंगिक समय में कार्यरत थी। आवेदिका के कार्यावधि के दौरान उपायुक्त हजारीबाग के द्वारा दिनांक–02.06.2018 को उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के कम में आवेदिका–सह–सेविका, ऑगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित थी। औचक निरीक्षण में पाये गये अनियमितताओं के आलोक में आवेदिका से कारण पृच्छा करते हुए उनका पक्ष प्राप्त किया गया तदोपरांत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1267 दिनांक–14.09.2018 के द्वारा आवेदिका को उपायुक्त के अनुमोदनोपरांत चयनमुक्ति का आदेश निर्गत किया गया।

3. आवेदिका ने अपने चयनमुक्ति के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में विविध वाद के माध्यम से चुनौती दी जिसके कम में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा प्रासंगिक आदेश पारित किया गया।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

4. आवेदिका का कहना है कि वे काफी गरीब महिला है एवं उनकी जमीन पर ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण करवाकर केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में कम बच्चें पाये जाने के आरोप में चयन मुक्ति किया गया जबकि उक्त तिथि को गॉव के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण दशकर्म कार्यक्रम था जिसके कारण कम बच्चें उपस्थित हुए थे। इसके अलावे आवेदिका के विरूद्ध पूर्व में कोई भी आरोप नहीं है। आवेदिका के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः कार्य सम्पादन करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया।

5. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1185 दिनांक–13.10.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित केन्द्र में सेविका के पद के लिये चयन की कार्रवाई नहीं की गयी है एवं यह पद वर्तमान में रिक्त है।

6. सरकार की तरफ से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए आवेदिका के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

7. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवादित है कि आवेदिका प्रासंगिक समय पर गोन्दलपुरा ऑगनबाड़ी केन्द्र में सेविका के रूप में कार्यरत थी एवं आवेदिका के विरूद्ध ऑगनबाड़ी केन्द्र के औचक निरीक्षण के क्रम में मात्र 07 बच्चें ही उपस्थित होने तथा आवेदिका के द्वारा विभिन्न तिथियों को उपस्थिति पंजी में बच्चों की कम संख्या के बावजूद शत–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के आरोप में उन्हें चयनमुक्त किया गया।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

8. विभागीय प्रावधानों के अनुरूप आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के पद पर चयन अथवा चयनमुक्ति हेतु उप विकास आयुक्त सक्षम प्राधिकार घोषित हैं एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा सेविका के पद से किसी भी कर्मी को चयन मुक्ति के आदेश के विरूद्ध उपायुक्त अपीलीय प्रधिकार घोषित हैं, परन्तु प्रासंगिक मामले में अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–1267 दिनांक–14.09.2018 के द्वारा संसूचित चयनमुक्ति का आदेश उप विकास आयुक्त के स्तर से निर्गत नहीं होकर अपीलीय प्राधिकार अर्थात उपायुक्त के अनुमोदन से निर्गत किया गया है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से आवेदिका के द्वारा चयनमुक्ति के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया एवं आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा प्रासंगिक वाद में पारित आदेश के आलोक में यह सुनवाई की गयी।

9. इस प्रकार यह मामला सेविका के चयन मुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील वाद न होकर तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा अनुमोदित होने के कारण आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा पारित आदेश के आलोक में पुनः नये सिरे से विचार करने से संबंधित है।

10. आवेदिका के द्वारा अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के बचाव में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। आवेदिका ने निरीक्षण की तिथि को उपस्थित

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

बच्चों की संख्या कम होने के तथ्य को स्वीकार किया है। आवेदिका के विरूद्ध निरीक्षण की तिथि को उपस्थिति पंजी में उनके द्वारा बच्चों की संख्या कम होने के बावजूद शत–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में कोई भी तथ्यपूर्ण एवं ठोस जवाब नहीं दिया गया है।

11. यद्यपि जॉच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 01 जून को 20 बच्चों के नामांकन के विरूद्ध 20 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गयी है जो प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होता है परन्तु आवेदिका ने विभिन्न तिथियों को दर्ज की गयी उपस्थिति के बिन्दु पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है जबकि अपने बचाव में यह उल्लेख किया है कि सभी दर्ज उपस्थिति वास्तविक है एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में वास्तविक उपस्थिति ही दर्ज की जाती है। इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आवेदिका के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं अन्य सभी तथ्यों के अवलोकनोपरांत आवेदिका–सह सेविका के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन के क्रम में कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने एवं गलत उपस्थिति दर्ज करने का आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग 24/12/2021

उपायुक्त, हजारीबाग 24/12/2021

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 13:52:20 +05:30
Location: 192.168.100.105